



HAR PAL TIMES

हर पल टाइम्स

RNI NO. MAHHIN/2011/24374

► वर्ष : १० ► अंक : १९ ► मुंबई, शुक्रवार, ८ जनवरी से १४ जनवरी २०२१ ► पृष्ठ : ४ ► मुल्य : २/- रु.

**मुंबई, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश, कर्नाटका, आंध्रप्रदेश, गुजरात, झारखण्ड, चेन्नई, कलकत्ता
जानेवाला अखबार, (०७४९८५३५२८६ आपकी समस्या के लिए इस नंबर पर संपर्क करें)**

ट्रैक्टर रैली
के जरिए
किया शक्ति
प्रदर्शन

ये तो बस ज्ञांकी है, कानून वापस नहीं हुए तो 26 को निकालेंगे परेड : किसान



नई दिल्ली,
पिछले लागत खराब डेढ़ महीने से किसान केंद्र के तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर अडिग हैं। वहीं सरकार भी कदम पांचे नहीं करना चाहती। ऐसे में विरोध में किसानों का हल्लाबोल जारी है। सरकार के साथ किसानों की सात दौर की वार्ता बेनतीजा रही थी, इसलिए किसानों ने अपने अंदोलन को तेज कर दिया है और आज राजधानी की सीमाओं पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। गाजियाबाद के यूपी गेट पर प्रदर्शन

कर रहे किसान आज यानी गुरुवार सुबह 135 किमी लंबे ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस-वे पर ट्रैक्टरों की अनुमति नहीं है। भीषण ठंड, बारिश के बावजूद पंजाब, हरियाणा और देश के कुछ अन्य भागों के हजारों किसान ट्रैक्टरों 40 दिनों से ज्यादा समय से दिल्ली की अलग-अलग सीमाओं पर डटे हुए हैं। किसान कृषि कानूनों को निरस्त करने, फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानूनी गारंटी देने तथा अन्य मुद्रों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे किसान संगठनों और तीन

केंद्रीय मंत्रियों के बीच सोमवार को हुई बैठक बेनतीजा रही थी क्योंकि किसान तीनों कानूनों को निरस्त करने की अपनी मांग पर डटे हुए हैं। राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर किसानों के आने के बाद से दिल्ली यातायात पुलिस अपने आधिकारिक ट्रिक्टर हैंडल से शहर में सड़कों के बंद होने के बारे में लोगों को लगातार सूचनाएं दे रही है। - यूपी गेट पर भाकिय (अम्बावता) गुट ने 10 जनवरी को महापंचायत की घोषणा की। (शेष पेज 2 पर)

यह कहानि नहीं हकिकत है

हर पल टाइम्स की रिपोर्ट,
► किसानों को 40 दिन होने जा रहे हैं और 60 से ज्यादा जाने चली गई मगर सरकार पर कोई असर नहीं।
► देश के हालात दिन बदिन खराब हो रहे हैं, पुरे हिंदुस्तान में एक ही बात किसानों का मामला कब होगा खत्म, अफसोस नेशनल चॉनल छोटी खबरों को बढ़ावा दे रहे हैं और जो कि सानों की हकिकत और उनकी मुश्किलों को सामने नहीं लाया जा रहा है।
► किसानों की समस्या पुरे दुनिया में पहुंच रही है और हमारे सरकार पर असर नहीं हो रहा है।

1) हमारा बड़ा सवाल, क्या पुरे हिंदुस्तान की जनता किसानों को पुरी तरह साथ देंगी।

2) सरकार वैक्सीन कि किंमत लेंगी या मुफ्त में दि जायेगी? और वैक्सीन से नुकसान होता है तो क्या सरकार जवाबदार होगी?

3) हम चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों के तीन कानूनवाला मामला तय करें सरकार वरना देश के हालात खराब हो जाएंगे।

4) देश में रोजगार की जरूरत है और समाज की जरूरतों को पुरा करें सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा राशन भी देना होगा।

5) मुंबई में लोकल ट्रेन जल्द से जल्द शुरू कर दी जाए और हर राज्यों में जाने वाली ट्रेनों को भी शुरू होनी चाहिए और खास बात तिकिट के दाम ज्यादा से ज्यादा लिए जा रहे हैं इस पर ध्यान दे सरकार।

हिंदुस्तान की जनता ज्यादा समझदार है सरकार को ज्यादा समझाने की काई जरूरत नहीं।



Har pal tv news.
cmw.in.chief news
Editor.Jameel g
khan.Mumbai India.

केंद्र सरकार पर बरसीं हरसिमरत कौर पीएम मोदी को किसानों से करनी चाहिए बात : हरसिमरत कौर

नई दिल्ली, सरकार और प्रदर्शनकारी किसान संगठनों के बीच आठवें दौर की बातचीत के एक दिन पहले शिरोमणि अकाली दल की नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री



हरसिमरत कौर बादल ने कहा कि केंद्र समूचे किसान समुदाय का भरोसा खो चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आंदोलनकारी किसानों के साथ सीधे बातचीत करनी चाहिए। किसानों की पीड़ा पर अपना दुख प्रकट करते हुए बादल ने कहा, यह अजीब है कि किसान कंपकंपा देने वाली ठंड में खुले में रातें गुजार रहे हैं और बहरे कानों तक उनकी आवाजें नहीं पहुंच पा रही हैं। लोकसभा में तीनों कृषि कानून पारित होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा देने वालीं बादल ने पीटीआई-भाषा को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले ४८-सात हप्ते में किसानों ने जो सामना किया है, केंद्रीय मंत्री रहते हुए उन्हें भी इसका सामना करना पड़ा था। उन्होंने कहा, ... अब जो स्थिति पैदा हुई है और विरोध हो रहा है, इससे बचने के लिए मैं महीनों तक मंत्रिमंडल की बैठकों में या केंद्र सरकार के शीर्ष नेताओं के साथ सीधी वार्ता में यह कहती रही कि तीनों विधेयक लाने के पहले एक बार किसानों की बात सुन लीजिए क्योंकि वे देश के अनन्दाता हैं। अन्यथा आंदोलन होगा, लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। लेकिन बहरे कानों तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाइ। (शेष पेज 2 पर)

पेट्रोल-डीजल की कीमतें 73 साल में सबसे ज्यादा, यूपीए सरकार के बराबर लगे टैक्स: सोनिया गांधी

नई दिल्ली, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोत्तरी को लेकर गुरुवार को केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि इन दोनों पेट्रोलियम उत्पादों पर उत्पाद शुल्क को कम करके यूपीए सरकार के समय की दरों के बराबर किया जाए ताकि देश के लोगों को राहत मिल सके। उन्होंने सरकार से



(शेष पेज 2 पर)

आज का पत्रकार समर्थाओं से परेशान

6 जनवरी को पत्रकार दिवस था, पत्रकार दिवस पर पत्रकारों को खुशी होती है अफसोस के 6 सालों से पत्रकारिता बदल गई है। अच्छे पत्रकारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। 6 सालों में नवे पत्रकारों ने जो न्यूज लगा रहे हैं उससे जनता पर खराब असर हो रहा है, हम सिनियर पत्रकारों की सच्ची खबरों को जनता के सामने लाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। प्रेस का जो पावर है उसको दबाने की कोशिश की जा रही है। अच्छे चैनलों पर भी परेशानी हो रही है। खास बात यह है जो चैनलों को नेताओं का सपोर्ट मिल रहा है वही न्यूज बताते हैं और वो नेता के हित में होती है। आज देश में जो हालात है उस पर सरकार की ध्यान नहीं है। आज कल अच्छे पत्रकार सच्ची खबरों को सामने लाकर बताने में दिक्कत हो रही है और जनता की हाकिकत नहीं बतायी जा रही है तो उस पर लोगों का ध्यान हट जाता है, लेकिन हमारे देश में कहीं लोग ऐसे भी हैं जो अच्छे पत्रकारों को पसंद करते हैं। आज भी जनता से गुजारी है, अच्छे पत्रकारों का साथ दें। आप की कोई भी समस्या या खबर हो तो इस नंबर पर 7498535286 वॉट्सअप कर सकते हैं। क्विडिओ ऑरिजनल होना चाहिए और आपका फोन नंबर भी जरूरी है।

संपादकीय

समाधान की उम्मीद



किसानों का बढ़ता आंदोलन जितना दुखद है, उतना ही चिंताजनक भी। दिल्ली की सीमाओं पर अनेक जगह जिस तरह से ट्रैक्टर रैली निकालकर किसानों ने प्रदर्शन किया है, उससे प्रशासन के कान खड़े हो जाने चाहिए। सबसे दुखद यह कि धोषित रूप से ऐसी रैली का अभ्यास 26 जनवरी के आयोजन को प्रभावित करने के लक्ष्य के साथ किया गया है। दिल्ली चलों के नाम पर 26 नवंबर को शुरू हुआ किसानों का विरोध प्रदर्शन तनाव बढ़ाने की दिशा में बढ़ चला है। किसानों को नए कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी के अलावा कुछ भी मंजूर नहीं। सरकार किसानों के साथ अनेक बार वार्ता कर चुकी है, लेकिन समाधान की उम्मीद को बल नहीं मिला है। आज 8 जनवरी की किसान-सरकार वार्ता फिर प्रस्तावित है, लेकिन अफसोस, 7 जनवरी की शाम तक इस वार्ता को लेकर कोई नई उम्मीद या प्रस्ताव सामने नहीं आया। स्वाभाविक है, किसी भी लोकतंत्र में जब सरकार किसी आंदोलन की बात नहीं सुनती है, तो उस आंदोलन में शमिल लोग शक्ति प्रदर्शन करते हैं और किसान ट्रैक्टर रैली के जरिए यही करना चाहते हैं। 2,500 से भी ज्यादा ट्रैक्टर का दिल्ली की सीमा पर पहुंचना अपने आप में ऐतिहासिक है। ट्रैक्टर गांवों व खेतों में चलाया जाने वाला वाहन है, पर अगर ऐसे वाहन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में इतनी बड़ी संख्या में दौड़ेंगे, तो क्या होगा, सोच लेना चाहिए। नई दिल्ली में एक अनुमान के अनुसार, करीब 124 प्रवेश द्वार हैं, जिनसे होकर दोपहिया समेत करीब छह लाख वाहन रोज आते हैं। रोज इतने वाहन दिल्ली आते हैं कि ज्यादातर प्रवेश द्वारों पर गिनती भी नहीं होती। कौन नहीं जानता कि दिल्ली व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण व्यावसायिक व शैक्षणिक केंद्र है। अगर ज्यादा दिनों तक यहां यातायात को रोका जाएगा, तो जाहिर है, व्यवसाय और रोजगार पर असर पड़ेगा, जिसका नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ेगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रहने वाले तीन करोड़ से ज्यादा लोगों के बारे में न केवल किसानों, बल्कि सरकार को भी सोचना चाहिए। यह तो अच्छा है कि अभी भी दिल्ली के कुछ प्रवेश द्वार खुले हैं और दिल्ली किसी तरह से चल रही है, लेकिन किसान अगर एक जगह बैठने के बजाय जगह-जगह रैलियां निकालने लगेंगे, तो फिर मुश्किलों का कारबां भी चलेगा। आज की वार्ता में सरकार को समाधान के मकसद से ही बैठना चाहिए। लोगों को ही नहीं, बल्कि सुप्रीम कोर्ट को भी आज की वार्ता से उम्मीदें हैं। ध्यान रहे, 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट किसान आंदोलन पर आगे सुनवाई करेगा। उसकी चिंता पहले भी सबके सामने आ चुकी है। मामले को संवाद के जरिए सुलझाने में ही सार है। जहां सरकार को जल्द समाधान के लिए काम करना चाहिए, वही किसानों को भी कुछ नरमी जरूर दिखानी चाहिए। देश भर में कृषि की जमीनी हकीकत, उदारीकरण और समग्र अर्थव्यवस्था के बारे में सोचना चाहिए। ज्यादा अङ्गने से आंदोलन में उग्रता बढ़ने का खतरा है, जिसे झेलने की स्थिति में देश नहीं है। पहले कोरोना और अब बड़े प्लू से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाना ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा, यह आंदोलन अगर लंबा खिंचा, तो लोगों का कृषि से मोहब्बंग भी बढ़ेगा। अब दोनों पक्षों को समग्रता में विचार करते हुए वार्ता के लिए बैठना चाहिए।

तैयार रहें जल्द मिल सकती है वैक्सीन की पहली खेप : केंद्र सरकार

नई दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से कहा है कि उन्हें कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्दी ही मिल सकती है और इसे प्राप्त करने के लिए वे तैयार रहें। मंत्रालय ने एक पत्र में कहा कि आपूर्ति 19 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के केंद्रों पर करेगा। इनमें आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। बाकी 18 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को टीका उनके संबंधित सरकारी चिकित्सा भंडारण डिपो से मिलेगा। इनमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, चंगीगढ़, दमन और नागर हवेली, दमन एवं दीव, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्ष्मीपुर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पुडुचेरी, सिक्किम, त्रिपुरा और उत्तराखण्ड शामिल हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के सलाहकार डॉ प्रदीप हलदर ने पांच जनवरी के पत्र में कहा, सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड-19 टीके की पहली खेप जल्द मिल सकती है। उन्होंने कहा, इस संबंध में आपसे आग्रह किया जाता है कि टीके



से ही तैयारी रखें। पत्र में कहा गया है कि टीके का जिलों में वितरण पंजीकृत लाभार्थियों के मुताबिक होगा, जिसके लिए जल्दी अलग से एक पत्र भेजा जाएगा। गैरतत्व है कि देश के औषधि नियंत्रक ने रविवार को ऑक्सफोर्ड-एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और देश में ही विकसित की गई भारत बायोटेक कंपनी की कोवैक्सीन को आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी थी। मंत्रालय ने मंगलवार को कहा था कि वह तीन जनवरी को टीके के आपात स्थिति में सीमित इस्तेमाल की मंजूरी मिलने के 10 दिन में टीका उपलब्ध कराने के लिए तैयार है लेकिन टीका किस तारिख को लाया जाएगा इसका फैसला सरकार करेगी। इस बीच, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को छोड़कर सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में आठ जनवरी को टीकाकरण का पूर्वाभास होगा ताकि प्रत्येक जिले में टीके की आपूर्ति के लिए प्रभावी योजना और प्रबंधन को प्राप्त करने के लिए पहले

बच्चे करेंगे गलती तो मां-बाप को मिलेगी सजा, नायिक पुलिस का फरमान

नासिक, पतंग उड़ाने वाले पतंगबाजों के लिए यह बेहद ही अहम खबर है। आपकी गलती की सजा आपके मां-बाप को मिल सकती है। नायलॉन के मांझे की वजह से लातार बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए नासिक पुलिस ने अहम फैसला लिया है। इसके तहत अब अगर बच्चों के पास नायलॉन का मांजा पाया जाता है तो उनके मां-बाप के खिलाफ पुलिस कार्रवाई करेगी। पुलिस ने इस बाबत आदेश भी जारी किया है। पूरे राज्य में नायलॉन के मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध है। बावजूद इसके धड़ल्ले से नायलॉन का मांजा बिक रहा है और इस्तेमाल हो रहा है। नासिक शहर में कुछ दिनों पहले भारतीय जाधव नाम की एक महिला की नायलॉन के मांझे की वजह से मौत हो गई थी। भारती नासिक के सातपुर इलाके में रहती थी। दुर्घटना के दिन भी वो हमेशा की तरह टूटूल्ले के जरिए अपने घर जा रही थी। लेकिन द्वारका पुल के पास मांझे की वजह से उनके गले में गंभीर चोट आई। आनन-फानन में उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद मांझे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने की मांग दोबारा उठाने लगी है। पिंपरी में भी मांझे की वजह से महिला डॉक्टर की मौत पुणे के पिंपरी इलाके में भी दो साल पहले एक महिला डॉक्टर की वजह से गला कटने से मौत हो गई थी। कृपाली कदम नाम की महिला डॉक्टर की मौत हुई थी। इसके पहले सुवर्णा मजूमदार नाम की मीडियाकर्मी की भी इसी प्रकार मांझे की वजह से दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई थी। इस मांझे का शिकार ना सिर्फ इंसान होते हैं बल्कि पक्षियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। इस मौत के मांझे के सबसे ज्यादा शिकार आसमान में कलाबाजियां खाने वाले पक्षी होते हैं।

बाकी पेज १ का

ये तो बस ज्ञांकी हैं...

आज यूपी गेट पर किसानोंने सरकार की बुद्धि-शुद्धि के लिए हवन भी किया है।

- हरियाणा : 26 जनवरी को किसानों की पेरेड मार्च में भाग लेने के लिए जींद में एक महिला ट्रैक्टर चलाना सीख रही है। महिला ने कहा कि 26 जनवरी को दिल्ली पहुंचेगी। अगर सरकार नहीं मानेगी तो ट्रैक्टर-ट्रैली लेकर परेड करेंगे, जिसके लिए हम ट्रैनिंग ले रहे हैं। हम बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे।

- नोएडा : भारतीय किसान यूनियन (भानू) ने केंद्र सरकार द्वारा किसान कानूनों के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन को जारी रखते हुए महामाया फ्लाईओवर से चिल्ला बॉर्डर तक ट्रैक्टर मार्च किया।

- गुरुग्राम : कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों के समर्थन में फर्स्टनगर क्षेत्र के किसानों ने हाथों में किसान यूनियन का ध्वज थामे ट्रैक्टर मार्च निकाला और करीब दो घंटे तक पातली गांव की सीमा क्षेत्र में केंपमा सुपर एक्सप्रेस-वे पर चार्ट पूर्वक मार्च किया। किसानों ने सरकार विरोधी नारे लगाए। धरने के बाद किसान ट्रैक्टरों पर बैठ कर पलवल धरना स्थल की और रवाना हो गए। ट्रैक्टर मार्च व धरना प्रदर्शन के दौरान किसान भारी पुलिस बल भी पहुंच गया था। हालांकि संख्या कम होने से कोई जाम जैसी समस्या नहीं बनी।

- हरियाणा से दिल्ली आने वाले हुए परेशान, किसान ट्रैक्टर रैली से बाधित रहा परिफेरल एक्सप्रेस-वे। लोगों को आवाजाही में हुई परेशानी, अंदरूनी सड़कों पर लगा जाम।

- गाजियाबाद : बील अकबरपुर से वापस यूपी गेट लौट रहे अधिकांश ट्रैक्टर, कुछ ट्रैक्टर रिसासा टोल की तरफ रवाना हुए।

- तीन कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अन्य किसान संगठनों के साथ एक जुटा दिखाये हुए दिल्ली के बुराड़ी में ट्रैक्टर रैली निकाली।

पीएम मोदी को किसानों से करनी...

प्रदर्शन के दौरान किसानों की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा, इस बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा कि केंद्र देश में किसानों का भरोसा गंवा चुका है। बादल ने कहा, किसान अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार के दरवाजे पर मर रहे हैं। देश में अन्दाजाओं की मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा? प्रदर्शन कर रहे किसानों और केंद्र के बीच चल रही बैठकों के बारे में पूछे जाने पर बादल ने कहा कि सात दौर की वार्ता के बावजूद कोई परिणाम नहीं निकल पाया है। बादल ने कहा, ह्याँअगर कई दौर की बैठकों के बावजूद मंत्री किसानों के मुद्दों को नहीं सुलझा पा रहे हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदर्शनकारी किसानों

के साथ सीधे वार्ता करनी चाहिए। उन्होंने पंजाब में कांग्रेस नेरूत्व वाली सरकार और राज्य के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह पर भी निशाना साधा और कहा कि वह अपनी जिम्मेदारी निभा पाने में नाकाम रहे हैं। बादल ने कहा, किसानों के खिलाफ इस अपराध में केंद्र और राज्य सरकारों सीधे तौर पर भागीदार हैं। किसान जब धरना पर बैठे थे तो पंजाब के मुख्यमंत्री अपने फार्महाउस में मौज कर रहे थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री और राज्य के लोगों के अभिभावक के तौर पर अपनी जिम्मेदारी निभाने में पूरी तरह नाकाम रहे। केंद्र में भाजपा नेरूत्व वाली राजग सरकार में हरसिमरत कैरबाल के बादल केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्र

मुम्बई की मेयर को दी थी जान से मारने की धमकी, गुजरात से गिरफ्तार हुआ आरोपी

मुम्बई, मुम्बई की महापौर और शिवसेना नेता किशोरी पेडनेकर को जान से मारने की धमकी देने के आरोप में बुधवार को एक व्यक्ति को गुजरात के जामनगर से गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुंबई पुलिस की टीम को फोन करने वाले की लोकेशन जामनगर मिली, जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस की टीम आरोपी को लेकर गुरुवार को मुंबई पहुंच सकती है। पुलिस के एक अन्य अधिकारी ने बताया कि महापौर को पिछले साल 21 दिसम्बर को उनके मोबाइल फोन पर एक व्यक्ति ने फोन कर हिंदी में अभद्र शब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने पत्रकारों को बताया कि पेडनेकर ने हाल ही में दक्षिण मुम्बई के आजाद मैदान पुलिस थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि आईपीसी की धारा 506-क्र के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। पेडनेकर 2019 नवम्बर में महापौर चुनी गई थीं।

मुंबई में आलू, प्याज के बोरों में हो रही इग्स की सप्लाई, 106 किलो गांजा जब्त

मुंबई,
इग्स माफियाओं ने मुंबई में इग्स की सप्लाई के लिए अलग-अलग मोड़स आँपरेंडी अपनाई है। अब पता चला है कि ये लोग आलू, प्याज के बोरों के जरिए भी शहर में इग्स लाते हैं। डीसीपी दत्ता नलावडे ने बताया कि उनकी टीम ने तीन आरोपियों इशरत सिद्दीकी, अफरोज सिद्दीकी और आनंद तरडे के पास से 106 किलो गांजा जब्त किया है। इसकी बाजार में कीमत करीब 21 लाख रुपये है। पुलिस ने वह टेम्पो भी अपने कब्जे में लिया है, जिसमें यह गांजा मिला था। टेम्पो धुले से आया था। उसमें आलू व प्याज के कई दर्जन बोरे रखे हुए गए थे। उन बोरों के बीच इस ड्रग को इस तरह छिणाया गया था कि किसी को शक न हो, लेकिन बांद्रा एंटीनार्कोटिक्स सेल के सीनियर इंस्पेक्टर अनिल वाढवणे को किसी ने इस टेम्पो के विक्रीली में होने की टिप दे दी। इसी के बाद जब आलू, प्याज के बोरे उत्तरवाए गए, तो यह इग्स मिली। जांच में पता चला कि ड्रग माफियाओं द्वारा ओडिशा और असम से इग्स की सप्लाई धुले तक होती है। वहां से फिर इसकी मुंबई में तस्करी होती है। जांच अधिकारी इस एंगल से भी केस की जांच कर रहे हैं कि कहाँ नक्सली तो इस इग्स तस्करी के पीछे शामिल नहीं हैं।



महाराष्ट्र शासन

संस्मरण 'दर्पण' कार का



आचार्य बालशास्त्री जांभेकर
(१८१२-१८४६)

'दर्पण' कार
आचार्य बालशास्त्री जांभेकर जी की
स्मृति को विनम्र अभिवादन!

६ जनवरी

पत्रकार दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ!

उद्घव बाळासाहेब ठाकरे
मुख्यमंत्री

अजित पवार
उप मुख्यमंत्री

बाळासाहेब थोरात
मंत्री, राजस्व

सूचना एवं जनसंपर्क महानिदेशालय, महाराष्ट्र सरकार

सुप्रीम कोर्ट ने
केंद्र से पूछा

क्या कोविड-19 से सुरक्षित हैं किसान? तबलीगी जमात जैसे न हो जाएं हालात

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के बीच तीन कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों को लेकर चिंता जताते हुए गुरुवार को केन्द्र से पूछा कि क्या ये किसान कोरोना सक्रमण से सुरक्षित हैं। तबलीगी जमात का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कोरोना पर अंकुश पाने के लिए बने दिशानिर्देशों का पालन होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इस महामारी पर काबू पाने के लिए लागू हुए लॉकडाउन के दौरान आनंद विहार बस अड्डे और निजामुदीन मरकज में तबलीगी जमात के आयोजन में बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने की घटना

की सीबीआई जांच के लिए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान कोरोना वायरस से किसानों की सुरक्षा को लेकर चिंता व्यक्त की। केंद्र सरकार दो सप्ताह में दाखिल करेगी रिपोर्ट चीफ जस्टिस एस.ए. बोबडे, जस्टिस ए.एस. बोपन्ना और जस्टिस वी. रामास-ब्रमण्यम की बीच ने सुनवाई के दौरान केन्द्र से कहा कि आपको हमें बताना चाहिए कि क्या हो रहा है। किसानों के आंदोलन से भी वैसी ही समस्या पैदा होने जा रही है। हमें नहीं मालूम कि क्या किसान कोविड से सुरक्षित हैं? वहाँ समस्या फिर पैदा होने जा रही है। ऐसा नहीं है कि सब कुछ बीत गया है। कोर्ट ने केन्द्र की ओर से पेश वकील ओम प्रकाश परिहार ने कहा कि मौलाना साद के बारे में

मेहता से जानना चाहा कि क्या विरोध प्रदर्शन कर रहे किसान कोविड-19 से सुरक्षित हैं? इस पर मेहता ने जवाब दिया कि निश्चित ही ऐसा नहीं है। मेहता ने कहा कि वह दो सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट दाखिल करके बताएंगे कि क्या किया गया है और क्या करने की जरूरत है? यह याचिका वकील सुनिधि पंडित ने दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में लोगों को एकत्र होने से नहीं रोक सकी और निजामुदीन मरकज का मुखिया मौलाना साद अभी तक गिरफ्तारी से बच रहा है। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ओम प्रकाश परिहार ने कहा था कि लॉकडाउन के दौरान तुषार



संख्या में लोगों के एकत्र होने और तबलीगी जमानत के कार्यक्रम के आयोजन की घटनाओं की दिल्ली पुलिस जांच कर रही है और इसमें सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले, गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस द्वारा साल 28 मार्च को आनंद विहार बस अड्डे और गाजीपुर सीमा पर एकत्र हो गए थे।

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं : कोर्ट

चेन्नई,

धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है।

मद्रास हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी करते हुए तमिलनाडु सरकार से राज्य में एक मंदिर में



कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए और लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना तलाशने को कहा।

एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव बनर्जी ने बुधवार को कहा, धार्मिक संस्कारों को सार्वजनिक हित और जीवन के अधिकार के अधीन होना चाहिए। धर्म का अधिकार जीवन के अधिकार से ऊपर नहीं है। यदि महामारी की स्थिति में सरकार को कुछ उपाय करने हैं, हम हस्तक्षेप नहीं करना चाहेंगे।

चीफ जस्टिस बनर्जी और जस्टिस संथिल कुमार रामामूर्ति ने सरकार को निर्देश दिया कि तिरुचनापल्ली जिले में स्थित श्रीरंगम रंगानाथस्वामी मंदिर में कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए त्योहारों और अनुष्ठानों के आयोजन की संभावना की तलाश करें। याचिकाकर्ता, रंगाराजन नरसिंहन ने हिंदू

धार्मिक और धर्मार्थ विभाग को निर्देश देने की मांग की कि प्राचीन श्रीरंगम मंदिर में उत्सवों और अनुष्ठानों का नियमित रूप से आयोजन किया जाए। चीफ जस्टिस ने यह भी याद दिलाया कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने महामारी के दौरान भीड़ कम रखने के लिए दुर्गा पूजा त्योहार के नियमन का आदेश दिया था। मंदिर प्रबंधन की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील सतीश परासरन ने कहा कि महामारी के दौरान कुछ त्योहार मनाए गए लेकिन अलग-अलग तारीख पर। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया कि धार्मिक प्रमुखों से परामर्श करके यह जांचें की लोगों के स्वास्थ्य से समझौता किए बिना उत्सव आयोजित करने की संभावना क्या है। अदालत ने राज्य को एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा और मामले को छह सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया।

मुंबई

महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार को सत्ता पर काबिज हुए एक साल से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। इस दौरान महाराष्ट्र में 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे। यह आंकड़ा साल 2020 के जनवरी महीने से लेकर नवंबर तक का है। हालांकि यह संख्या साल 2019 के आंकड़ों से कम बताई जा रही है। साल 2019 में 2566 किसानों ने आत्महत्या की थी। मुआवजे के हकदार थे

किसान

आरटीआई एक्टिविस्ट जितेंद्र घाडगे की निकाली गई जानकारी पर गौर करें तो यह पता चलता है कि जिन 2270 किसानों ने आत्महत्या की है, उनमें से 40% से ज्यादा यानी 920 किसान मुआवजे के हकदार थे।

यह जानकारी महाराष्ट्र के राजस्व मंत्रालय की तरफ से आरटीआई के तहत दी गई है। सरकार कर्ज में डूबे किसानों को मुआवजा देती है। अक्सर यह मुआवजा उनके परिजनों को

मिलता है जो तकरीबन एक लाख रुपये तक होता है। जानकारी के अनुसार आधे से ज्यादा किसान विदर्भ इलाके के हैं। जिसे महाराष्ट्र की कॉटन बेल्ट के रूप में भी जाना जाता है। इस इलाके से तकरीबन 1230 किसानों ने आत्महत्या की है। मराठवाड़ा के सूखे इलाके वाली जगहों पर 693 किसानों ने आत्महत्या की है। जबकि उत्तर महाराष्ट्र में यह आंकड़ा 322 किसानों का है। पश्चिम महाराष्ट्र जिसे शुगर बेल्ट के नाम से भी जाना जाता है वहाँ

आत्महत्या के 25 मामले दर्ज हुए हैं। जबकि कोंकण इलाके में एक भी सुसाइड सामने नहीं आया है। किसान नेता अजित नवले ने बताया कि सरकार ने किसानों की फसल को बीते सालों के मुकाबले इस वर्ष अधिक मात्रा में खरीदा है। बावजूद इसके किसानों को अपनी फसल स्थानीय व्यापारियों को बेचनी पड़ी। जिसकी वजह से किसानों को केंद्र सरकार की कृषि सम्मान योजना और राज्य की कर्ज माफी स्कीम का फायदा नहीं मिल पाया।

बिहार की आर्थिक स्थिति सुधारी, इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका



दमगड़ा पहुंचे। स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत जीविका के कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम में जीविका दीदियों को संबोधित करते हुए कहा कि जल जीवन हरियाली अभियान के तहत तालाब का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। अने वाले समय में इन तालाबों की देखभाल की जिम्मेदारी जीविका दीदी को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की आर्थिक स्थिति सुधारी है। इसमें महिलाओं की बड़ी भूमिका है। महिलाओं में जागृति आई है पढ़ाई से लेकर कमाई के क्षेत्र में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं।

हर पल टाईम्स व हरपल टीवी न्यूज़

PRESS

HAR-PAL TIMES
THE TIME BEGINS NOW

Regd. RNI. NO-MAHHIN/2011/24374
GOVT OF INDIA

PAN CARD NO. BIVPK 4141H

Jameel G Khan
Chairman & Chief News Editor
+91-7021425442

Website : www.crimeinvestigationharpalv.com / Email : harpaltimes.press@gmail.com

Mumbai Office : 2-B, Nityanand Nagar, KC Marg, Opp. Reclamation Bus Depot, Behind ONGC Colony, Next to Lilavati Hospital, Bandra (W), Mumbai - 400 050.

CRIME
THE MOST WANTED T.V. NEWS

HAR-PAL T.V. NEWS

Crime Investigation News

आपकी न्यूज इस हॉटसाप नंबर पर 7498535286 भेजें
कम से कम फीस में इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया की ट्रेनिंग दी जा रही है..

मालक, मुद्रक, प्रकाशक वसीम जे. खान ने शिरनाजी प्रिंट, एम.एल. कॉम्प, चैंबूर, मुंबई - ४० ००८९ से छपवाकर, प्लॉट नं. २५ डी/ १.

शिवाजी नगर, गोवंडी, मुंबई - ४० ००४३ से प्रकाशित किया। संपादक: वसीम जे. खान. RNI NO:- MAHHIN/2011/24374

Email--harpaltimes.press@gmail.com 074985 35286 (सभी विवाद निपटारे के लिए न्यायक्षेत्र मुंबई, महाराष्ट्र होगा।)